भारतीय लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु चुनाव सुधार की आवश्यकता : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में

शोधार्थी, शिखा ओझा
विभाग – राजनीति विज्ञान
बाबासाहेब भीम राव अंबेडकर यूनिवर्सिटी,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी, लखनऊ, 226025

प्रो. रिपु सूदन सिंह

विभाग – राजनीति विज्ञान
बाबासाहेब भीम राव अंबेडकर यूनिवर्सिटी,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी, लखनऊ, 226025

सार –

भारत विश्व का सबसे वृहत लोकतंत्र है। वृहत लोकतंत्र होने के कारण भारत मे सरकार का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है, इसमें सम्पूर्ण शक्ति जनता व निर्वाचकों में निहित होती है। किन्तु उसका प्रयोग निर्वाचित प्रतिनिधिगण करते है, जो अपने निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होते है। भारत जैसे– संपन्न लोकतंत्र के लिए चुनाव जरूरी ही नहीं अपरिहार्य होते है, लोकतांत्रिक राजनीति की मुख्य विशेषता : नियमित अंतराल पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, इससे सरकार को वैधता मिलती है। चुनाव लोगों की राजनीतिक जागृति का भी एक माध्यम है। नियमित चुनाव से लोकतंत्र में जन–विश्वास में वृद्धि के साथ लोकतंत्र को सुदृढ़ करने, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में मदद मिलती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता है। देश में स्वस्थ लोकतंत्र और जवाबदेह सरकार की स्थापना के लिए ये चुनाव सुधार आवश्यक है। किन्तु भारतीय लोकतंत्र के वर्तमान चुनावी परिप्रेक्ष्य में – चुनाव में धनबल व बाहुबल की बढ़ती भूमिका, आपराधिक राजनीति का बढ़ता प्रचलन, जाली मतदान, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, निम्न विसंगतियां विद्दमान है। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए चुनावी सुधारों में समय–समय पर

संशोधन की आवश्यकता होती है। एक जीवंत लोकतंत्र के लिए पारदर्शिता के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना आवश्यक होता है।

मुख्य शब्द भारतीय लोकतंत्र, राजनीतिक दल, चुनावी सुधार, निष्पक्षता, पारदर्शिता

प्रस्तावना

किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में चुनाव नियमित रूप से होता है। चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आधार है। जो राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के लिए मतदाताओं के समक्ष समान परिस्थितियों में सार्वजनिक पद हेतु प्रतिस्पर्धा करने का तंत्र व माध्यम प्रदान करता है। चुनाव होना किसी राष्ट्र को लोकतांत्रिक नहीं बनाता बल्कि चुनाव प्रक्रिया का निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पूर्ण करना, लोकतांत्रिक सुदृढ़ता का आधार है। चुनाव को एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा मतदाता या निर्वाचक, वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। यह हर लोकतंत्र की एक प्रमुख आवश्यकता है और वोट का अधिकार उसके नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। भारत के संविधान में भारत के चुनाव आयोग का प्रावधान है जो सभी चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। यह संसद और राज्य विधानसभाओं के दोनों सदनों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। सुधार एक बार का प्रयास नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। विगत कुछ वर्षों में, चुनाव आयोग ने लोकतंत्र की मजबूती करने और चुनावी निष्पक्षता को बढ़ाने हेतु सराहनीय चुनावी सुधार किए हैं। किन्तु ये सुधार पर्याप्त नहीं है। क्योंकि अभी भी भारतीय चुनावी प्रणाली में कई विसंगतियां विद्दमान है, जिसका निराकरण उम्मीदवारों, मतदाताओं और भारत के चुनाव आयोग के त्रिपक्षीय समर्थन से किया जा सकता है। संविधान के आदर्शों को पूरा करने हेतु लोकतंत्र की मूल भावना को बनाए रखने के लिए चुनाव सुधार आवश्यक हैं। चुनावी सुधारों की प्रक्रिया का मुख्य फोकस लोकतंत्र के मूल अर्थ को व्यापक बनाना, इसे नागरिकों के अधिक अनुकूल बनाना और वयस्क मताधिकार का अक्षरशः कार्यान्वयन करना है।

भारतीय लोकतंत्र में चुनाव सुधार की आवश्यकता

राजनीति के जटिल आंतरिक चरित्र और गठबंधन की अंतहीन संभावनाओं के चलते भारत के चुनाव का अनुमान लगाना बेहद कठिन है। भारत के मतदाता संसद या लोकसभा के 543 सदस्यीय निचले सदन के लिये सांसदों का चुनाव करते हैं। क्षेत्र के हिसाब से दुनिया के सातवें बड़े और दूसरी सबसे अधिक आबादी वाले देश में चुनाव कराना बेहद जटिल कार्य है। निर्वाचन अधिकारियों पर अनुचित रूप से राजनीतिक दबाव डाले जाते हैं। फलस्वरूप वे

निष्पक्ष रूप से अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। चुनाव सुधार की आवश्यकता भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चुनाव प्रणाली में सुधार न केवल निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाता है, बल्कि यह जनता का भरोसा भी मजबूत करता है। यहां चुनाव सुधार की कुछ आवश्यकताएं हैं: चुनाव सुधार की आवश्यकता पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं:

चुनावों में धनबल और बाहुबल का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। उम्मीदवार और राजनीतिक दल अपने प्रचार के लिए बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करते हैं, जिससे चुनावों में निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। इसके लिए चुनावी फंडिंग पर पारदर्शिता और सख्त नियम लागू करने की आवश्यकता है। चुनाव के दौरान मतदाताओं को पैसे, शराब या अन्य वस्तुओं के माध्यम से प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। ऐसे प्रलोभनों को रोकने के लिए सख्त कानून और इसके पालन के लिए कड़ी निगरानी की आवश्यकता है। कई बार चुनावों में आपराधिक छवि वाले लोग भी चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। इसे रोकने के लिए कानून में बदलाव की आवश्यकता है ताकि गंभीर अपराधों के आरोपियों को चुनाव लड़ने से रोका जा सके। कई मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाते हैं या उन्हें मतदान केंद्रों तक पहुंचने में कठिनाई होती है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली में सुधार और मतदाता पहचान प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है। भारत में अभी भी काफी लोग अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करते हैं। इसे बढ़ावा देने के लिए अधिक जागरूकता अभियान की आवश्यकता है ताकि लोग मतदान के महत्व को समझें और चुनाव में बढ़–चढ़कर भाग लें। भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट विधि से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। अर्थात हर सीट पर सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार विजयी होता है। इसलिये जिन राजनीतिक दलों के वोट बिखरे हुए हैं, उन्हें कुल मिलाकर अच्छा–खासा वोट मिलने के बावजूद मुमकिन है कि उसके प्रतिनिधि जीतकर न आएँ।

निर्वाचन आयोग और उनके कार्य

चुनाव आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निहित है, जो इसे भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार प्रमुख संस्था के रूप में स्थापित करता है। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को हुई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग द्वारा संसद, राज्य विधानसभाओं के साथ– साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए आयोजित चुनावों के पर्यवेक्षण , निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है। इसलिए , चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करने और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है । चुनाव आयोग के कार्यों में परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुसार चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों को विनियमित करना, मतदाता सूची तैयार करना, समय – समय पर आवश्यक सुधार करना और योग्य मतदाताओं का पंजीकरण करना शामिल है। यह चुनावों का कार्यक्रम भी निर्धारित करता है और उसे अधिसूचित करता है, राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान

करता है। आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनावों में उनके प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा देता है और राजनीतिक दलों और चुनाव चिन्हों की पहचान से संबंधित विवादों को सुलझाने में प्रमुख भूमिका निभाता है । और राजनीतिक दलों के लिए टेलीविजन और रेडियो पर अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए समय सीमा निर्धारित करता है।

निर्वाचन आयोग की पहल

चुनाव प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के अलावा, चुनाव आयोग आचार संहिता का मॉडल भी तैयार करता है, क्योंकि यह निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों का संरक्षक है। लेकिन कठोर वास्तविकता यह है कि राजनीतिक दल कभी भी आचार संहिता का पालन नहीं करते हैं। समस्या कानूनों की कमी नहीं है, बल्कि सख्त क्रियान्वयन की कमी है। इस अन्यायपूर्ण प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए चुनाव आयोग के हाथों को मजबूत करने और उसे अधिक आधिकारिक रूप से अधिकृत और संस्थागत शक्तियां देने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग को उन भटके हुए राजनेताओं को दंडित करने की शक्ति दी जानी चाहिए जो भटक जाते हैं और चुनावी कानूनों का उल्लंघन करते हैं। आयोग द्वारा कई नई पहल हुई हैं – राजनीतिक दलों द्वारा प्रसारण के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की योजना, राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगाना, मतदाता सूचियों का कम्प्यूटरीकरण, मतदाताओं को पहचान पत्र प्रदान करना, वित्तीय रिकॉर्ड के रखरखाव और उम्मीदवारों द्वारा उन्हें भरने के लिए सूत्र को सरल बनाना। आदर्श आचार संहिता के सख्त अनुपालन के लिए चौनलों की बहुलता ने चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के लिए एक स्तर प्रदान किया। और यही कारण है कि चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के नवीनीकरण के लिए काम करना शुरू कर दिया है। यह स्पष्ट है कि बदलती चुनावी प्रणाली उथल–पुथल से भरी है, लेकिन समय की मांग लोकतंत्र को संरक्षित और मजबूत करना है।

भारत में चुनाव सुधार से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

1. *अनुच्छेद 324 – 329* चुनावों और चुनावी सुधारों के बारे में बताता है।

2. *अनुच्छेद 324* – निर्वाचन आयोग को दिए गए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अधिकारों के बारे में है।

3. *अनुच्छेद 325* – कोई भी व्यक्ति धर्म, वंश, जाति या लिंग के आधार पर विशेष मतदाता सूची से न बाहर किया जा सकता है या न ही शामिल किए जाने का दावा कर सकता है।

4. *अनुच्छेद 326* – वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा चुनावों और राज्य विधानसभा चुनावों के बारे में बात करता है।

5. *अनुच्छेद 327* – विधानमंडल चुनावों के संबंध में प्रावधान बनाने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है।

6. *अनुच्छेद 328* – राज्य विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने के लिए राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है।

7. *अनुच्छेद 329* – चुनावी मामलों से संबंधित अदालतों द्वारा किसी भी हस्तक्षेप करने के लिए अदालत पर बार (वकीलों का समूह) बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

भारतीय लोकतंत्र में चुनाव सुधार हेतु विभिन्न सिफारिशें

विभिन्न समितियों एवं आयोगों ने चुनाव प्रणाली तथा चुनावी मशीनरी के साथ–साथ चुनाव प्रक्रिया की जाँच की है और सुधार के सुझाव दिये हैं। ये समितियाँ एवं आयोग निम्नलिखित हैं–

तारकुंडे समिति (वर्ष 1974–75)

1974 में चुनाव सुधार पर विचार एवं अध्ययन हेतु 'सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी नामक संगठन की ओर से जयप्रकाश नारायण ने एक पूर्व जज वी0एम0 तारकुण्डे की अध्यक्षता में एक छः सदस्यीय समिति का गठन किया। जिसने 1975 में अपनी रिपोर्ट में चुनाव सुधार हेतु निम्न सिफारिशें कीः–

- मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया जाए।
- मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य किया जाए जो मतदान का प्रयोग न करे उन्हें दण्डित किया जाए।
- चुनाव में बढ़ती धन की भूमिका को नियंत्रित करने हेतु राजनीतिक दलों द्वारा किए गए व्यय को उम्मीदवार के व्यय में शामिल किया जाए जिससे नैतिक मूल्यों में वृद्धि हो।
- चुनाव के दौरान मंत्रिमंडल के सदस्य सरकारी खर्च न करे
- आचार संहिता का कठोरता से पालन किया जाए
- प्रत्येक उम्मीदवार को सरकार द्वारा कुछ चुनाव प्रसार सामाग्री निःशुल्क दिया जाए।
- जमानत की राशि लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए 500 से बढ़ाकर 2000 रुपए और विधानसभा सदस्यों के किए 200 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया जाए।
- निर्वाचन आयोग की सहायता हेतु केंद्र और राज्यों में निर्वाचन परिषदें बनाई जाए जो उसे सलाह दे, इन परिषदों में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हो, इसके अलावा मतदाता परिषदें भी बनाई जाए जो निर्वाचन के समय विशेष निगरानी रखे।
- मतदाताओं द्वारा उम्मीदवार को कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व वापस बुलाने की व्यवस्था।
- प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में संगठन के नीचे की इकाइयों, जन समितियों, जिलों और पंचायत समितियों आदि को प्रतिनिधित्व दिया जाए।
- देश के सभी प्रकार के चुनावों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाए।

- लोकसभा अथवा विधानसभा के विघटन से लेकर नई सरकार के निर्माण तक 'काम चलाऊ सरकार' का नई नीति, कार्यक्रम, नए ऋण या भत्तों को घोषित करने से रोका जाए।

समिति ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता, राज्य चुनाव आयोग का गठन, चुनाव खर्च सरकारी कोष से करने, मतदान एवं चुनाव विवादों के निपटारे सम्बन्धी अति महत्वपूर्ण सुझाव दिये लेकिन जनता सरकार के असामयिक पतन के कारण इन सुझावों पर भी कोई अमल नहीं हुआ।

श्यामलाल शकधर के सुझाव (1981)

देश के तात्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त श्यामलाल शकधर ने 9 जुलाई, 1981 को चुनाव व्यवस्था में परिवर्तन हेतु दो प्रमुख सुझाव दिये।

1. मतदाताओं को फोटा युक्त परिचय पत्र दिए जाएँ।

2. चुनावो का सम्पूर्ण व्यय राज्य वहन करें।

चुनाव आयोग के सुझाव (1985)

भारतीय चुनाव व्यवस्था में व्याप्त दोष को दूर करने तथा चुनाव व्यवस्था को पारदर्शी, निष्पक्ष बनाने के लिए अप्रैल, 1985 में चुनाव आयोग ने चुनाव सुधार से सम्बन्धित प्रमुख सिफारिशें– चुनाव खर्च में कमी लाने एवं चुनाव प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष बनाने के लिए *'इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन'* का प्रयोग किया जाए, प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त करने के लिए न्यूनतम मत संख्या 20 प्रतिशत रखी जाए। एक प्रत्याशी द्वारा एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रो से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए, किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किये जाने के बाद न्यायालय द्वारा चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाए, चुनावों में उम्मीदवारों की संख्या को कम करने के लिए उनकों प्रदत्त सुविधाओ में कटौती की जाए।

टी.एन. शेशन के सुझाव (1990)

देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ने चुनाव सुधार की दिशा में सराहनीय प्रयास किये, जिनमें से प्रमुख प्रयास इस प्रकार है। फोटों युक्त पहचान पत्र जारी करने के आदेश दिये गये। चुनावों के लिए आचार संहिता का निर्माण किया जाए। चुनावों में खर्च किये जाने वाले धन की सीमा निर्धारित की गई।

दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशें (1990)

दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में वी.पी.सिंह के प्रधानमंत्रीत्व काल में एक सरकारी समिति बनाई गई, 1 मई, 1990 में इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

किसी भी रिक्त स्थान पर उप चुनावों का 6 महीने के भीतर कराने और चुनाव खर्च को कम करने के उद्देश्य से चुनाव प्रचार की अवधि को 14 दिन करने की कानूनी व्यवस्था हो, सभी

मतदाताओं को 'फोटो युक्त पहचान पत्र' दिये जाए, मतदान केंद्रों पर कब्जा करने एवं हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाए जाएँ तथा ऐसी स्थिति में पुनर्मतदान की व्यवस्था की जाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन' का प्रयोग किया जाए, चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग को रोकने के लिए कठोर कानून बनाया जाए, दल–बदल से उत्पन्न प्रश्नों के निर्णयों का अन्तिम अधिकार अध्यक्ष के पास नहीं बल्कि इसका निर्णय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति को करना चाहिए, चुनाव व्यय पर फर्जी विवरण देने वाले के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए, सीटों की संख्या घटाए–बढ़ाए बगैर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता के सुझाव पर होना

राजनीति के अपराधीकरण पर वोहरा समिति (वर्ष 1993)

वोहरा समिति ने राजनीतिज्ञों तथा अपराधी समूहों के बीच निरन्तर मजबूत होते संबंधो पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अपराधियों तथा नेताओं में पारस्परिक गठजोड़ ने जनता में निराशा व असुरक्षा की भावना भर दिया है। अतः राजनेताओं तथा अपराधियों का गठजोड़ तोड़ा जाना चाहिए।

चुनावों में राज्य वित्तपोषण पर इंद्रजीत गुप्ता समिति (वर्ष 1998)

1.लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाए।

2.ऐसे प्रत्याशी जो अपना वार्षिक आयकर रिटर्न दाखिल करने में असफल हैं, को चुनावों में आर्थिक सहायता न दी जाए।

3.10,000 से अधिक चंदे की राशि ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से प्रदान किये जाने की व्यवस्था हो।

चुनाव सुधारों पर विधि आयोग की रिपोर्ट (वर्ष 1999)

दल बदल कानून को निरस्त कर अलोकतांत्रिक पद्धति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, चुनाव अपराधों पर दण्ड की मात्रा बढ़ाना, प्रत्याशियों द्वारा दी जाने वाली जमानत की राशि में बढ़ोत्तरी, राजनैतिक दलों के व्यय के आंकड़े प्रति वर्ष चुनाव आयोग को प्रस्तुत करना,

इसके अलावा प्रमुख सुझाव इस प्रकार है

1. निर्दलीय प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध।

2. चुनाव में कुल पड़े मतों का 5 प्रतिशत से कम मत पाने वाले दल को सदन में एक भी सीट न दी जाए। चुनाव में कुल पड़े मतों का 50 प्रतिशत से अधिक पाने वाले को ही विजयी घोषित किया जाए, इसके लिए पुनः मतदान क्यों न करना पड़े।

संथानम समिति के प्रमुख सुझाव

भारतीय चुनाव व्यवस्था में सुधार के लिए गठित के0 संथानम समिति के प्रमुख सुझाव – निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारा के लिए अपेक्षित योग्यताएं निर्धारित होनी चाहिए। राजनीतिक दलो के निबंधन, उनकी संवैधानिकता तथा आय और व्यय व्यय के लेखा–जोखा से सम्बन्धित विधि का निर्माण किया जाना चाहिए। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन समय के साथ हो। निर्वाचक मण्डल के अन्तर्गत आने वाले नागरिको की नामावली नवीनता के साथ बनायी जानी चाहिए। मुख्य निर्वा चन आयुक्त को विरोधी दल के एक प्रतिनिधि तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के उपरांत नियुक्त करना चाहिए।

उपरोक्त समितियों एवं आयोगों की अनुशंसाओं के आधार पर चुनाव प्रणाली, चुनाव मशीनरी और चुनाव प्रक्रिया में कई सुधार किये गए हैं। उपरोक्त समितियों के अलावा भी ***वीरप्पा मोइली आयोग, एम. वेंकटचलैया आयोग (2000–2002), विधि आयोग*** आदि अन्य कई आयोग एवं समितियों ने भी समय पर चुनाव सुधार सम्बंधी अपनी प्रमुख सिफारिशें दी है जिनमें से अधिकांश सिफारिशें लागू हो चुकी है। फिर भी आज तक चुनाव प्रणाली में पर्याप्त सुधार नहीं हो पाये है। चुनावों में धनबल, बाहुबल, जातिवाद तथा सम्प्रदायवाद जैसे तत्वों को रोकने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ–साथ मतदाताओं को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, तभी सफल लोकतंत्र का सपना साकार हो पाएगा।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कारक

स्वतंत्र चुनाव आयोगः चुनाव प्रक्रिया का संचालन एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग के माध्यम से होना चाहिए, जो सरकार या किसी अन्य संस्था के प्रभाव से मुक्त हो।

मतदाता शिक्षा और जागरूकताः मतदाताओं को उनकी अधिकारों और मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी होना चाहिए ताकि वे अपने उम्मीदवारों का सही चयन कर सकें। शिक्षित और जागरूक मतदाता लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं।

राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसरः सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को प्रचार करने, रैलियाँ आयोजित करने और मीडिया में समान समय मिलने का अधिकार हो।

मीडिया की स्वतंत्रताः मीडिया को स्वतंत्र रूप से चुनाव के संबंध में रिपोर्ट करने और निष्पक्ष जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिससे मतदाताओं को सही और निष्पक्ष जानकारी मिल सके।

मतदाता सुरक्षा और गोपनीयताः मतदाताओं को डर और भय से मुक्त होकर मतदान करने का अवसर मिले साथ ही उनकी पहचान और वोट गोपनीय रहनी चाहिए।

संवैधानिक प्रावधानः संविधान में चुनाव प्रक्रिया और अधिकारों के स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष हो सके और कोई बाहरी हस्तक्षेप न हो।

मतदाता सूची की शुद्धता: मतदाता सूची का सही और समय–समय पर अपडेट होना आवश्यक है ताकि सभी पात्र मतदाता सूची में शामिल हों और किसी को भी गलत तरीके से बाहर न रखा जाए।

इन कारकों के प्रभावी कार्यान्वयन से चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सकती है, जिससे लोकतंत्र सशक्त होता है।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध लेख के विश्लेषण से यह तो प्रमाणित होता है कि भारत में चुनाव एवं चुनाव सुधार का विषय में विधिक प्रावधान सैद्धांतिक दृष्टि से अधिक हुए है, किन्तु आवश्यकता है व्यावहारिक दृष्टि से इन्हें अमली जामा पहनाने की। स्वतंत्र चुनाव और राजनीतिक पारदर्शिता से ही लोकतंत्र को वैधता मिलती है। ऐसे में महत्त्वपूर्ण चुनावी सुधारों को लागू कराना बहुत जरूरी है ताकि लोकतांत्रिक भारत भ्रष्टाचार और आपराधिक माहौल से मुक्त होकर विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सके। भारत में चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह हो, राजनीतिक दल अपने आय–व्यय का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करे, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र विद्दमान हो, चुनावों में जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, सम्प्रदायवाद, धनबल, बाहुबल, भाई –भतीजावाद जैसी समस्याओं पर अंकुश हो, सभी मतदान बूथों की वीडियोग्राफी हो, ताकि मतदान केंद्रों पर होने वाले कब्जों का रोका जा सकें। मतदाताओं को जागरूक करने वाले व्यापक अभियान चलाये जाए, चुनावों में मीडिया द्वारा राजनीतिक दलों के पक्ष में पेड न्यूज प्रसारित करने पर रोक हो,

सुदृढ़ लोकतंत्र हेतु स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करना आवश्यक ही नही अनिवार्य होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अभी एक प्रक्रिया है, यथार्थ नहीं। इस प्रक्रिया को यथार्थ के धरातल पर पहुंचाने में अभी इस दिशा में बहुत सुधार किए जाने बाकी है। चुनावों में धनबल, बाहुबल, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, आदि विसंगतियो को नियंत्रित करने हेतु सरकारी प्रयास के साथ मतदाताओं को अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके, एक सुदृढ़ लोकतंत्र स्थापित हो सके।

संदर्भसूची

1 चहल, राजेश, (2021), भारत का संविधान : नए संदर्भ, के. के पब्लिकेशंस

2.कश्यप, सुभाष (1970) दल–बदल और राज्यों की राजनीति, मिनाक्षी प्रकाशन, मेरठ

3.सिंह उम्मेद, इंदा (2010), संसदीय व्यवस्था में परिवर्तन की दिशा, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस

4.चोपड़ा, कुमार, जोगिंदर,(1989) पॉलिटिक्स ऑफ इलेक्शन रिफॉर्म इन इंडिया, मित्तल

पब्लिकेशन

5.जौहरी, डॉ जे. सी. (2021) भारतीय शासन एवं राजनीति, एसबीपीडी पब्लिकेशन

6.भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली

https://eci.gov.in

7.भल्ला, आर. पी (1973)य इलेक्शन इन इण्डिया, एस चन्द्र एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली

8.गोस्वामी, भालचन्द्रय (1999) भारत में चुनाव सुधारः दशा और दिशा, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर,

9.सिंह, अभय प्रसाद, मुरारी कृष्ण,(1जनवरी 2019), भारत में राजनीतिक प्रक्रिया,

pp-12&40]Orient Blackswan-

10.पाण्डेय, अरूणय(2000) हमारा लोकतंत्र और जानने का अधिकार वाणी प्रकाशन, नईदिल्ली

11 .राय, अरूंधति, (2012) कठघरे में लोंकतंत्र, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली

12 .राजनीतिक दलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की आवश्यकता,(एडीआर) एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स.

13. अग्रवाल, मनोज,(2015) चुनाव सुधार–सुशासन की ओर एक कदम, प्रभात प्रकाशन,दिल्ली

14.भारतीय विधि आयोग (2015), (चुनावी अयोग्यता, 244 वी रिपोर्ट), विधि एवं न्याय मंत्रालय चुनाव सुधारो पर रिपोर्ट, प्रेस सूचना ब्यूरो भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय

15. कुमार, वेंकटेश वी, (2009) इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडिया, रावत पब्लिकेशन

16.काटजू, मंजरी(2023), इलेक्टोरल प्रैक्टिस एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस